न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :— 68/2023

शीर्षक

1.प्रेमलता पत्नि पुरुषोत्तम लाल, उम्र व्यस्क, जाति महाजन,निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

—वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति अहीर, निवासी कालीकोठी, शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

2 कैलाश पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

3 गीता देवी पुत्री सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज)

4 गोवर्धन पुत्र रुडाराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

5 चन्दन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम जाति महाजन, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

6. प्रहलाद पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०),

7 बनारसी पुत्री सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज ०)

8.बाबूलाल पुत्र सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

9.मदनलाल पुत्र सुणीराम जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

10 मैना देवी पत्नि गोविन्दराम, जाति सुनार, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

11.रजनीश पुत्र श्यामसुन्दर, जाति ब्राह्मण, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

12 राजु पुत्र गोकूल जाति कुमावत, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

13.राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

14. रामगोपाल पुत्र सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

15— रोहिताश पुत्र हनुमान जाति माली, निवासी—शाहपुरा, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

उप खण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

16 शिम्भूदयाल पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी कालीकोठी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

17.सेडी देवी पत्नि सुणीराम जाति माली निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

18 उपपंजीयक–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

19 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

20. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–चिमनपुरा, जिला जयपुर जिला जयपुर (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27/5/24

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं०– 551 रकबा 2.3200 है० कुल किता1 कुल रकबा 2.3200 है० वाकै ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादीया का 2000/9351 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं०–1 लगायत 17 के नाम जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–352 में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि पर वादीया व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 17 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीया को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व वादीया को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा हे। यह कि अभी 10–15 दिन पूर्व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे वादीया ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को मना किया कि ओर कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादीया को प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 के विरूद्ध अधिकार हारिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधे पूला पानी पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 17 उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा वादीया के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 5 में वर्णित अनुसार अब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा करने लग गये है इस कारण वादी का उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के साथ सामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिए वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अंत में निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0–551 रकबा 2.3200 है० कुल किता–1 कुल रकबा 2.3200 है० वाकै ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड (सरस नरस के आधार पर) राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0– 551 रकबा 2.3200 है० कुल किता 1 कुल रकबा 2.3200 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर , प्रतिवादी सं0 04 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा व प्रतिवादी सं0 12 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मीणा ने अण्डरटेकिंग दी। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03, 05 लगायत 10, 13, 14, 16 लगा0 20 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 04 की ओर से वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया। दिनांक 02.02.2024 को प्रकरण में प्रतिवादी सं0 11, 12 15 की ओर से वकील प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश नही किया गया व उपस्थित नहीं आये। शेष प्रतिवादीगण उक्त प्रतिवादी सं0 04 के अतिरिक्त उपस्थित नही आये। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 04 ने प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत सहमति दी। वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष को बहस पर सुना गया। बहस पर मनन किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत् सहमत है। अतः प्रकरण को दिनांक 02.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को प्रकरण में बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2024/ 2308 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0–551 रकबा 2.3200 है० कुल किता–1 कुल रकबा 2.3200 है० वाकै ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. रजनीश पुत्र श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण हि0 पूर्ण सा0 रजनीश फर्म प्रा0 लि0 शाहपुरा आ0ख0 न0 551/3 रकबा 0.2510 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. चन्दन कुमार पुत्र पुरूषोत्तम हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 शाहपुरा खातेदार आ0 ख0 न0 551/2 रकबा 0.06 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

3. प्रेमलता पत्नी पुरूषोत्तम हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 शाहपुरा खातेदार आ0ख0 न0 551/1 रकबा 0.2800 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

4. गोवर्धन पुत्र रूडाराम हि0 पूर्ण जाति माली सा0 शाहपुरा खातेदार राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चिमनपुरा आ0ख0 न0 551/5 रकबा 0.5223 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

5. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम हि0 13/12067 जाति अहीर (यादव) सा0 काली कोठी, कैलाश पुत्र हनुमान हि0 329/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, गीता पुत्री सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, चन्दन कुमार पुत्र पुरूषोत्तम हि0 492/12067 जाति महाजन सा0 शाहपुरा, प्रेमलता पत्नी पुरूषोत्तम हि0 2162/12067 जाति महाजन सा0 शाहपुरा, प्रहलाद पुत्र हनुमान हि0 329/12067 जाति माली सा0 शाहपुरा, बनारसी देवी पुत्री सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, बाबूलाल पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, मदन पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, मैना देवी पत्नी गोविन्दराम हि0 165/12067 जाति सुनार सा0 शाहपुरा, राजू पुत्र गोकुल हि0 86/12067 जाति कुमावत सा0 शाहपुरा, राजेन्द्र पुत्र हनुमान हि0 372/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, रामगोपाल पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, रोहिताश पुत्र हनुमान हि0 372/12067 जाति माली सा0 शाहपुरा, शिम्भूदयाल पुत्र कालूराम हि0 13/12067 जाति अहीर (यादव) सा0 काली कोठी, सेडी देवी पत्नी सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला खातेदार आ0 ख0 न0 551/4 रकबा 1.2067 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र – 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 68 / 2023

शीर्षक

1.प्रेमलता पत्नि पुरुषोत्तम लाल, उम्र व्यस्क, जाति महाजन,निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम जाति अहीर, निवासी कालीकोठी, शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

2 कैलाश पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

3 गीता देवी पुत्री सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज)

4 गोवर्धन पुत्र रुडाराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

5 चन्दन कुमार पुत्र पुरुषोत्तम जाति महाजन, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

6. प्रहलाद पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०),

7 बनारसी पुत्री सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज ०)

8.बाबूलाल पुत्र सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

9.मदनलाल पुत्र सुणीराम जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

10 मैना देवी पत्नि गोविन्दराम, जाति सुनार, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

11.रजनीश पुत्र श्यामसुन्दर, जाति ब्राह्मण, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

12 राजु पुत्र गोकूल जाति कुमावत, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

13.राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

14. रामगोपाल पुत्र सुणीराम, जाति माली, निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

15– रोहिताश पुत्र हनुमान जाति माली, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

16 शिम्भूदयाल पुत्र कालूराम, जाति अहीर, निवासी कालीकोठी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

17.सेडी देवी पत्नि सुणीराम जाति माली निवासी नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

18 उपपंजीयक–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

19 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

20. प्रबन्धक राजस्थान मरूघरा ग्रामीण बैंक शाखा–चिमनपुरा, जिला जयपुर जिला जयपुर (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 22/5/24

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0–551 रकबा 2.3200 है० कुल किता–1 कुल रकबा 2.3200 है० वाकै ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. रजनीश पुत्र श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण हि0 पूर्ण सा0 रजनीश फर्म प्रा0 लि0 शाहपुरा आ0ख0 न0 551/3 रकबा 0.2510 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. चन्दन कुमार पुत्र पुरूषोत्तम हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 शाहपुरा खातेदार आ0 ख0 न0 551/2 रकबा 0.06 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

3. प्रेमलता पत्नी पुरूषोत्तम हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 शाहपुरा खातेदार आ0ख0 न0 551/1 रकबा 0.2800 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

4. गोवर्धन पुत्र रूडाराम हि0 पूर्ण जाति माली सा0 शाहपुरा खातेदार राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चिमनपुरा आ0ख0 न0 551/5 रकबा 0.5223 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

5. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम हि0 13/12067 जाति अहीर (यादव) सा0 काली कोठी, कैलाश पुत्र हनुमान हि0 329/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, गीता पुत्री सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, चन्दन कुमार पुत्र पुरूषोत्तम हि0 492/12067 जाति महाजन सा0 शाहपुरा, प्रेमलता पत्नी पुरूषोत्तम हि0 2162/12067 जाति महाजन सा0 शाहपुरा, प्रहलाद पुत्र हनुमान हि0 329/12067 जाति माली सा0 शाहपुरा, बनारसी देवी पुत्री सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, बाबूलाल पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, मदन पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, मैना देवी पत्नी गोविन्दराम हि0 165/12067 जाति सुनार सा0 शाहपुरा, राजू पुत्र गोकुल हि0 86/12067 जाति कुमावत सा0 शाहपुरा, राजेन्द्र पुत्र हनुमान हि0 372/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, रामगोपाल पुत्र सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला, रोहिताश पुत्र हनुमान हि0 372/12067 जाति माली सा0

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

शाहपुरा, शिम्भूदयाल पुत्र कालूराम हि0 13/12067 जाति अहीर (यादव) सा0 काली कोठी, सेडी देवी पत्नी सुणीराम हि0 1289/12067 जाति माली सा0 नाथावाला खातेदार आ0 ख0 न0 551/4 रकबा 1.2067 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 22/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ______ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	